

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 313]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 29 जून 2011—आषाढ़ 8, शक 1933

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जून 2011

क्र. 33-एफ 1-25-2011-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 428 के साथ पठित धारा 432 क की उपधारा (1) और धारा 67 के खण्ड (घ) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961(क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 357 की उपधारा (5) के साथ पठित धारा 359 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा तरण तालों के विनियमन के बारे में राज्य में की नगरपालिक निगमों और नगरपालिकाओं के दिशा-निर्देश हेतु निम्नलिखित आदर्श उपविधियां बनाती है, अर्थात्:—

#### आदर्श उपविधियां

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना तथा प्रारंभ—(1) इन उपविधियों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिका तरण तालों का विनियमन आदर्श उपविधियां, 2011 है.

(2) ये नगरपालिकाओं को लागू होंगी.

(3) ये “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगी;

2. परिभाषाएं.—इन उपविधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “जोखिम भरी खरोच” से अभिप्रेत है, कोई नुकली या उबड़-खाबड़ सतह, जो सामान्य प्रयोग के दौरान त्वचा छील सकती है;

- (ख) “अधिनियम” से अभिप्रेत है, यथास्थिति, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) या मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961);
- (ग) “स्नान करने वाला” से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति जो तैरने या उससे संबंधित क्रियाकलापों के प्रयोजन के लिये किसी तरणपाल और उससे लगे हुए डेक क्षेत्र का उपयोग करता हो;
- (घ) “स्नान करने वालों की संख्या” से अभिप्रेत है, किसी दिये हुए समय या किसी निश्चित की गई कालावधि के दौरान ताल या स्पा क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या ;
- (ङ) “शिशिक्षु क्षेत्र” से अभिप्रेत है 0.6 मीटर से 0.9 मीटर तक की गहराई की रेंज में आने वाला जलक्षेत्र ;
- (च) “भवन अधिकारी” से अभिप्रेत है, नियमों को प्रशासित और उन्हें लागू कराने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया किसी स्थानीय नगरपालिक क्षेत्र का भवन अधिकारी;
- (छ) “डेक” से अभिप्रेत है, वह क्षेत्र जो किसी ताल या स्पा से ठीक लगे हुए हैं या उनसे जुड़े हुए हैं और जो उपयोक्ता द्वारा बैठने, खड़े रहने या घूमने-फिरने के उपयोग हेतु विशेषतया निर्मित या स्थापित किए गए हैं;
- (ज) “गहरे क्षेत्र” से अभिप्रेत है, ताल का वह भाग जहां जल की गहराई 1.5 मीटर से अधिक हो;
- (झ) “पारिवारिक ताल” से अभिप्रेत है, कोई आवासीय तरणताल;
- (ञ) “फिल्टर” से ऐसी युक्ति अभिप्रेत है, जो जल को सरंध्र पदार्थ से संचरण कर उसमें से ठोस कणों को पृथक् करती है;
- (ट) “ताल” से अभिप्रेत है, ताल की सतह का आंतरिक धरातल और उसमें सम्मिलित है क्षैतिज सम क्षेत्र से अधिकतम पैंतालीस डिग्री उतार (स्लोप) की सतह;
- (ठ) “ताजा (शुद्ध) जल” से अभिप्रेत है सोडियम क्लोराइड का छह हजार भाग प्रति मिलियन घोल से कम विनिर्दिष्ट समप्रेष्यता (कन्डक्टिविटी), रखने वाला जल;
- (ड) “स्वास्थ्य प्राधिकारी” से अभिप्रेत है संबंधित नगरपालिका का स्वास्थ्य अधिकारी जिसका आसन्न क्षेत्राधिकार हो;
- (ढ) “नगरपालिका” से अभिप्रेत है नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद् या यथास्थिति नगर पंचायत;
- (ण) “जैव पदार्थ (आर्गेनिक मैटर)” से अभिप्रेत है, पसीना, मूत्र, लार, सनटन तेल, प्रसाधन सामग्री, लोशन, मृत त्वचा और वैसा ही अवशेष जो उपयोक्ताओं तथा वातावरण द्वारा जल में समाविष्ट किया गया हो;
- (त) “परिसर” से अभिप्रेत है कोई भूमि, भवन या संरचना;
- (थ) “ताल” से अभिप्रेत है जल को रोककर रखने वाली कोई ऐसी कृत्रिम संरचना जिसमें जल शोधन प्रणाली से बंद लूप द्वारा जल संचरण और संरचना में उसकी वापसी की व्यवस्था हो;
- (द) “निजी ताल” से अभिप्रेत है निर्मित किया गया कोई स्थाई या अस्थायी ताल जिसका एक से अनधिक स्वामी के परिवार तथा उनके मेहमानों द्वारा गैर वाणिज्यिक तरणताल के रूप में उपयोग किया जाना आशयित है;
- (च) “सार्वजनिक तरणताल” से अभिप्रेत है, कोई ऐसी संरचना चैम्बर या टैंक जिसमें कृत्रिम जलाशय समाविष्ट हैं, जिसका लोगों को तैरने, गोता लगाने, जल विहरण करने अथवा मनोरंजन के लिए उपयोग किया जाता है, उनके साथ जलाशय के संबंध में उपयोग में आने वाले भवन, उपांग और उपकरण भी सम्मिलित हैं, भले ही उनके उपयोग के लिए फीस

ली जाती हो अथवा नहीं। इसमें नगरपालिका, स्कूलों, होटलों और क्लबों के ताल तथा कोई ऐसा ताल भी सम्मिलित है, जिसमें दैनिक शुल्क का भुगतान करने पर, जाने की अनुमति हो। इसमें संस्थाओं, राज्य एजेन्सियों, सह-स्वामित्व, संस्थाओं, हेल्थ क्लबों इत्यादि द्वारा संचालित ताल भी सम्मिलित हैं;

- (न) "उथले क्षेत्र" से अभिप्रेत है, ताल का वह भाग जिसमें पानी की गहराई 0.9 मीटर से 1.5 मीटर तक हो;
- (प) "परीक्षण सामग्री" से अभिप्रेत है कोई युक्ति जिसका उपयोग ताल की आवश्यकता में विनिर्दिष्ट रसायन या अपशिष्ट कारक मानीटर करने में किया जाता है।

3. **तरणताल का प्रचालन और प्रबंधन.**—इन उपविधियों के अंतर्गत आने वाले समस्त तरणताल, उचित रूप से प्रशिक्षित आपरेटों के पर्यवेक्षण और निदेशों के अधीन संधारित किए जाएंगे, जो ताल की स्वच्छता, सुरक्षा और उचित अनुरक्षण तथा समस्त भौतिक और यांत्रिक उपस्करों और अभिलेखों के लिए जिम्मेदार होंगे।

4. **तरणताल हेतु योजनाओं की विषयवस्तु.**—(1) समस्त सार्वजनिक तरणतालों की योजनाएं और विशिष्टियां निर्माण या परिवर्तन के पूर्व डिजाइन अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएंगी।

(2) ऐसी योजनाओं और विशिष्टियों में सभी पर्याप्त जानकारीयां अंतर्विष्ट होंगी जिसमें यह दर्शाया जाए कि ताल, ताल प्रणाली, स्नानगृह, उपस्कर या उसके सुधार अन्तर्विष्ट होंगे तथा उपदर्शित होंगे:—

- (क) ताल का भौतिक विवरण जिसमें ताल का परिमाण, क्षेत्र, गहराई, प्रवेश करने और निर्गम की अवस्थिति, पानी की लाइन, सीढ़ियां, सोपान (लेडर), डुबकी लगाने के उपस्कर और निर्माण की सामग्री;
- (ख) ताल का परिमाण, कुल राशि, निष्पंदन (फिल्टरेशन) की दर, बहाव दर तथा कुल डायनेमिक शीर्ष;
- (ग) जल प्रदाय करने के स्रोत, मात्रा और विशेषताएं;
- (घ) निष्पंदन (फिल्टरेशन), परिचलन का और रासायनिक फीडर उपकरण के विस्तृत ब्यौरे;
- (ङ) विद्यमान हवा का माप, उत्तर केन्द्र (नार्थ वलाइंट) तथा दिशा;
- (च) अधिभोक्ता भार।

5. **प्रारंभिक प्रचालन अनुज्ञा के लिए आवेदन.**—(1) सार्वजनिक तरणताल का प्रबंधन, संबंधित आयुक्त, नगरपालिक निगम या मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद् को निर्माण शुरू करने के पूर्व तरणताल के प्रचालन के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) आवेदन, विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए विहित प्ररूपों पर दो प्रतियों में तैयार किए जाएंगे। इसकी मूलप्रति, संबंधित प्राधिकारी को अग्रेषित की जाएगी और एक प्रति प्रबंधन द्वारा रखी जाएगी।

(3) संनिर्माण परियोजना के रेखाचित्र (ड्राइंग) के कम से कम पांच सेट पूर्ण ब्यौरे अन्तर्विष्ट करते हुए प्रस्तुत किए जाएंगे जिसमें कि प्राधिकारी को किए जाने वाले कार्य स्पष्ट दर्शित हो। रेखाचित्र (ड्राइंग) के अतिरिक्त सेट की अपेक्षा की जा सकेगी। रेखाचित्र पूर्ण होंगे और वास्तुकला संबंधी/अभियांत्रिकी पद्धति का अनुपालन किया जाएगा। योजनाओं में अधिकतम स्नान भार (बाथिंग लोड) भी कथित होगा।

(4) संनिर्माण योजनाओं का एक हस्ताक्षरित और अनुमोदित सेट, संनिर्माण के दौरान हर समय संनिर्माण स्थल पर रहेगा।

(5) संनिर्माण अनुज्ञा उसके जारी किए जाने की तारीख से बारह माह के लिए विधिमाम्य होगी। इस समय के पश्चात् यदि परियोजना शुरू नहीं हुई है या पूर्ण नहीं हुई है तो योजना तथा विनिर्देशों की पुनः प्रस्तुति तथा नई संनिर्माण अनुज्ञा जारी करने की अपेक्षा कर सकेगा।

6. **संरचनात्मक डिजाइन.**—(1) संरचना डिजाइन और प्रयुक्त सामग्री सामान्यतः स्वीकृत अच्छे संरचनात्मक अभियांत्रिकी पद्धति के अनुसार होगी.

(2) ताल का आंतरिक रंग, पैटर्न या फिनिशिंग, ताल के भीतर की वस्तुओं (आब्जेक्ट्स) या सतह के अस्तित्व को अंधकारमय या विवधमानता को अस्पष्ट नहीं करेगा.

(3) तरण ताल के साथ-साथ समस्त अनुलग्नक ऐसी सामग्री से निर्मित किए जाएंगे जो मनुष्य तथा वातावरण के लिए विषैले न हों, अभेद्य और टिकाऊ हों, डिजाइन के दबाव को सह सकें और बनावट संरचनात्मक जोड़ों को अपवर्जित करते हुए बिना किसी दरार या जोड़ के चिकनी तथा आसानी से साफ की जाने वाली सतह समापक (फिनिश) अनुप्रयुक्त की गई हो या संलग्न हों.

(4) **प्लंबिंग.**—समस्त प्लंबिंग लागू विनियमों और/या सी.पी.एच.ई.ई.ओ. मानक के अनुसार आकार, संस्थापित तथा अनुरक्षित की जाएगी. अनुज्ञप्त प्लंबिंग ठेकेदार या प्लंबिंग निरीक्षक से इस बात के लिए लिखित साक्ष्य ली जाएगी कि उसने स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा यथाअपेक्षित प्लंबिंग संहिता का अनुपालन किया है.

(5) **विद्युत् प्रणाली.**—ताल घटक (कम्पोनेन्ट्स) प्ररचना को सम्मिलित करते हुए, सभी विद्युत् वायरिंग, उपस्कर और संस्थापन, भारतीय विद्युत् नियमों के अनुरूप होंगे. अनुज्ञप्त विद्युत् ठेकेदार या विद्युत् निरीक्षक से इस बात का लिखित साक्ष्य लिया जाएगा कि उसने स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी द्वारा यथाअपेक्षित समस्त विद्युत् संहिताओं का अनुपालन किया है.

(6) **पुनर्परिचालन और उपचार प्रणाली तथा अन्य उपस्कर.**—डिजाइन इंजीनियर से इस बात के लिए लिखित साक्ष्य लिया जाएगा कि उसने पुनर्परिचालन और उपचार प्रणाली और संस्थापन में प्रयुक्त समस्त घटक मानकों की पूर्ति कर ली है.

(7) **निर्माण सतह.**—समस्त निर्माण सतहें जो उपभोक्ता के संपर्क में आती हैं इस तरह फिनिश की हुई हों जिससे कि आकस्मिक संपर्क और प्रयोग करने पर भी कटने, चुभने, चोट लगने या जोखिम होने का खतरा न हो.

7. **अनुज्ञा.**—(1) किसी भी व्यक्ति के लिए यह अवैधानिक होगा कि यथास्थिति, ऐसे नगरपालिक निगम या नगरपालिका परिषद् या सुसंगत नगरपालिक विधि द्वारा या उसके अधीन प्राधिकृत अधिकारी से वैध संचालन अनुज्ञा प्राप्त किए बिना, किसी सार्वजनिक तरण ताल का संचालन करें.

(2) स्वामित्व परिवर्तन के कारण अनुज्ञा अविधिमान्य हो गई हो.

(3) व्यक्तिगत रूप से माना गया प्रत्येक ताल पृथक् अनुज्ञा के अधीन प्रचालित होगा.

(4) नए या विद्यमान सार्वजनिक ताल की अनुज्ञा जारी करने के पूर्व आवेदक इन नियमों, के उपबंधों तथा विधि के अन्य समस्त उपबंधों, जो ताल के स्थान, निर्माण और अनुरक्षण को लागू होते हैं, का अनुपालन करने का तथा उसमें व्यक्ति की सुरक्षा बाबत् समाधानपूर्ण साक्ष्य देगा.

(5) अनुज्ञा, यथाशक्य मुख्य प्रवेश के नजदीक, जैसा कि सुसंगत नगरपालिक विधि के अधीन अवधारित किया जाएगा, हर समय प्रदर्शित की जाएगी.

(6) अनुज्ञा स्वास्थ्य प्राधिकारी की संपत्ति होगी और जब भी ताल का संचालन बंद हो, स्वामित्व में परिवर्तन हो या अनुज्ञा विखंडित हो, स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी को सात दिन के भीतर लौटा दी जाएगी.

(7) संचालन की अनुज्ञा बारह मास से अधिक के लिए विधिमान्य नहीं होगी.

8. **परिसर के लिए आवश्यकताएं.**—(1) तरणताल में प्रत्येक महिला एवं पुरुष के लिए आसानी से पहुंच हेतु कपड़े बदलने के अलग-अलग कमरे, फब्वारा और प्रसाधन सुविधाएं उपबंधित की जानी चाहिए.

(2) तरणताल के आसपास के फर्श की सतह अप्रभावित और न फिसलने वाली सामग्री की बनी होना चाहिए.

(3) क्लोरीक्लोनेटर संस्थापन पर समुचित रसायनिक गैस मास्क आवश्यक रूप से उपलब्ध कराए जाएं और यदि स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो तो आक्सीजन या श्वास लेने का उपकरण अवश्य उपलब्ध कराया जाए.

(4) परिसरों पर पर्याप्त संख्या में कचरा पेटी अवश्य उपलब्ध कराई जाएं.

(5) ताल में स्नान करने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या कथित की जाए और उसका पालन किया जाना चाहिए.

(6) गहरे किनारों तक पहुंच हेतु समुचित सीढ़ी होनी चाहिए.

(7) तरण ताल अनुमोदित दीवारों या फेन्स (बाड़) से घिरा होना चाहिए.

(8) तरण ताल की फेन्सिंग/दीवार निम्नानुसार होगी :—

(क) कम से कम 1.2 मीटर की ऊंचाई तक हो.

(ख) बाड़ (फैन्स) में या बाड़ के नीचे 100 मीटर चौड़ी दरारें नहीं हों.

(ग) हाथ से पकड़ने, पांव रखने की जगह (फुटहोल्ड) या अन्य साधन जिससे की छोटे बच्चे चढ़ सकें, नहीं हों.

(9) ताल के द्वार से 1.2 मीटर के भीतर स्थित ऐसी कोई भी मद नहीं हो जैसे बैठक, बाहरी फर्नीचर व्यवस्था, बाड़क, गमले, जिम, उपकरण, सीढ़ियां, वृक्ष और झाड़ियां जिसकी शाखाएं झुकी हुई हों या ऐसी कोई वस्तु.

(10) समस्त तालों में भीतरी और बाहरी कृत्रिम प्रकाश उपबंधित किया जाएगा. प्रकाश सम्पूर्ण तरण ताल को पर्याप्त रूप से बिना चकाचौंध के प्रदीप्त किया जाएगा.

ड्रेसिंग रूम, स्वच्छता सुविधाएं और उपकरण कक्षों में मध्यप्रदेश विद्युत् बोर्ड की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रकाश किया जाएगा.

**9. तरण ताल परिचारक के कर्तव्य.—**(1) परिसर हर समय सुरक्षित, साफ और स्वच्छ स्थिति में रखा जाना चाहिए और ठीक से मरम्मत की जानी चाहिए.

(2) एक अनुमोदित, पूर्ण सज्जित प्रथम उपचार बाक्स (फर्स्ट एड बाक्स) जो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ हो, ठीक से अनुरक्षित और सुगम पहुंच हो तथा सुरक्षित स्थिति में रखा हो उपलब्ध कराया जाना चाहिए.

(3) तरण ताल रक्षक को यह अवश्य सुनिश्चित करना होगा कि पानी हर समय स्वच्छ उपचारित हो और जब तरण ताल का उपयोग हो रहा है तब पानी हर समय उपयोग किए जाने योग्य हो.

(4) उथले किनारे पर “कूदना मना है” या “गोता लगाना” मना है स्पष्ट रूप से चिन्हित होना चाहिए.

(5) तरण ताल रक्षक को जीवन रक्षक, प्राथमिक उपचार देने, पुनर्जीवन साधनों के प्रयोग, तरणताल के प्रचालन और जल के परीक्षण और उसकी सुरक्षा के अनुरक्षण में शिक्षित और दक्ष होना चाहिए.

(6) तरण ताल रक्षक को, तरण ताल के जल की गुणवत्ता के परीक्षण के लिये उपस्करों को, प्रदूषण और रोगाणुनाशन के लिये उचित चालू हालत में उपलब्ध और संधारित कराना होगा.

(7) तरण ताल रक्षक को किए जाने वाले समस्त दैनिक परीक्षणों और उसके परिणामों के क्रियान्वित और निर्वचन से पूर्णतः अवगत होना चाहिए.

(8) पानी की गुणवत्ता के दैनिक परिचालन अभिलेख अवश्य रखे जाना चाहिए.

**10. स्वास्थ्य सुरक्षा.**—(1) जल प्रदाय, नगरपालिका से जल प्रदाय से भिन्न अन्य स्रोतों से जल का उपयोग तरण ताल को साफ करने, भरने या उसका स्तर बनाए रखने में नहीं किया जाएगा, या जब तक कि स्वास्थ्य अधिकारी तरण ताल रक्षक को प्रमाण-पत्र जारी नहीं करता जिसमें यह कथित किया गया हो कि ऐसा जल ऐसे उपयोग के लिये उपयुक्त है. स्वास्थ्य अधिकारी ऐसे अंतराल पर तरण ताल के पानी के नमूने लेगा जैसा कि वह प्राधिकृत विश्लेषक द्वारा जीवाणु परीक्षण के किसी रासायनिक विश्लेषण के प्रयोजन के लिये उचित समझे.

(2) पानी की सुरक्षा, प्रत्येक तरण ताल रक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि तरण ताल में जब पानी का उपयोग हो, तो निम्नलिखित बातों का अनुपालन किया जाए :—

- (क) पानी बहते हुए, झूलते (सस्पेंड) या जमे हुए कचरे या तैरते हुए जीवों से मुक्त होना चाहिए और दीवार फर्श तक पहुंच सोपान या सीढ़ियाँ और नाला, कीचड़ तथा शैवाल से मुक्त होने चाहिए.
- (ख) पानी का पीएच मान 7 से कम तथा 8 से अधिक नहीं होना चाहिए;
- (ग) जहां क्लोरीन आधारित रोगाणुनाशी उपयोग किए गए हैं, वहां न्यूनतम 0.5 मिलीग्राम प्रति लीटर मुक्त उपलब्ध क्लोरीन अवशिष्ट के साथ अधिकतम 3 मिलीग्राम प्रति लीटर मुक्त उपलब्ध क्लोरीन अवशिष्ट बनाए रखा जाना चाहिए.
- (घ) जहां क्लोरीन से भिन्न अन्य रोगाणुनाशक का उपयोग किया गया है वहां अवशिष्ट का स्तर खण्ड (ग) की अपेक्षानुसार समतुल्य प्रभाव का होना चाहिए.
- (ङ) स्वीकृत योग्य पद्धतियों के अनुसार विश्लेषण के लिये प्रस्तुत किए गए किसी नमूने का कुल जीवनक्षय जीवाणु गणना पानी में 100 जीवाणु प्रति मिलीलीटर से अधिक नहीं होना चाहिए;
- (च) एशेरिकिया कोलाई टाईप-1 जीवाणु प्रति 100 मिलीलीटर पानी में नहीं पाया जाना चाहिए; और
- (छ) समुचित जल गुणवत्ता परीक्षण उपस्कर उपलब्ध तथा अनुरक्षित होना चाहिए.

(3) **तरणताल के उपयोग पर प्रतिषेध.**—(क) यदि तरण ताल का पानी जब यह उपयोग के लिये उपलब्ध हो, उप-धारा (2) (ङ) के उपबंधों के अनुसार नहीं है और यदि, स्वास्थ्य अधिकारी की राय में, ऐसे तरणताल का उपयोग लोक स्वास्थ्य के हित में नहीं है, तो वह ऐसे तरणताल के उपयोग को तत्काल प्रतिषेध कर सकेगा.

(ख) तरण ताल के उपयोग के रूप में प्रतिषेध तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक कि उसका लिखित प्रतिसंहरण स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा तरणताल रक्षक को तामील नहीं किया जाता.

(4) **प्रवेश का अधिकार.**—स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त युक्तियुक्त समय पर, जब तरणताल उपयोग के लिये उपलब्ध हो, तब निरीक्षण के प्रयोजन से किसी भी परिसर में प्रवेश कर सकेगा और पानी के नमूने ले सकेगा जैसा कि वह रासायनिक या जैविक परीक्षण या विश्लेषण के लिये आवश्यक समझे.

(5) ताल का उपयोग.—कोई भी व्यक्ति—

- (क) तरण ताल रक्षक या नगरपालिका के किसी अधिकारी को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में, हस्तक्षेप नहीं करेगा;
- (ख) जान बूझकर या किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग से पीड़ित होने का संदेह हो, किन्हीं परिसरों का उपयोग नहीं करेगा;
- (ग) तरण ताल में मूत्र त्याग, मल त्याग, थूकना या अपनी नाक साफ नहीं करेगा;
- (घ) ताल के निकट पीना या खाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा;
- (ङ) ग्लास, कप, बोतल या कांच के पात्रों का उपयोग नहीं करेगा;
- (च) दौड़ना या कूदना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा;
- (छ) ताल के निकट रखे जाने के लिये, प्लास्टिक बेग्स का उपयोग नहीं करेगा;
- (ज) मद्यपान के प्रभाव के अधीन तरण ताल में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा;
- (झ) उचित तैराकी परिधान विशिष्टतया पहने जाने वाले अंतःवस्त्र के बिना प्रवेश अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

11. तरण ताल में सुरक्षा.—तरण ताल विनियम निम्नानुसार होंगे :—

- (क) **बच्चों के ताल.**—बच्चों के ताल वे हैं जो छह वर्ष से कम आयु के बच्चों के उपयोग के लिये आश्रित हैं. ये न तो 40 से. मी. से अधिक गहरे होने चाहिए और न ही 10 प्रतिशत से अधिक झुकाव या ढलान के होने चाहिए. बच्चों के ताल पूर्णतः स्वतंत्र होने चाहिए जिससे दुर्घटनावश बच्चे अन्य ताल क्षेत्रों तक नहीं पहुंच सकें.
- (ख) **ताल की सीढ़ियां.**—सीढ़ियां, परिधि के कम से कम प्रत्येक 25 मीटर या उसके (परिधि) के भाग (खण्ड) पर लगाई जानी चाहिए. आसानी से सफाई के लिये सीढ़ियां स्टेनलेस स्टील से निर्मित होनी चाहिए और चढ़ने के लिए, इतनी गहरी हों कि आसानी से चढ़ा जा सके परन्तु ताल के तल तक नहीं पहुंचना चाहिए.
- (ग) **डेक (छत) की विशेषताएं.**—ताल के ठीक आसपास का क्षेत्र डेक (छत) समझा जाता है. डेक कम से कम एक मीटर चौड़ा होना चाहिए और ऐसी सामग्री का होना चाहिए जो फिसलने से रोकता हो. इसका डिजाइन ऐसा होना चाहिए जो कीचड़ के निर्माण और पानी के बहाव को वापस ताल में रोके.
- (घ) **जीवन रक्षा बाँय ( लाइफ सेप्टी बाँय ).**—सामुदायिक ताल में उतने ही ज्यादा सुरक्षा बाँय होने चाहिए जितनी ताल में सीढ़ियां हों. इन्हें दिखाई देने वाले स्थानों में लगाया जाना चाहिए और तैराकों के लिये सुगम होना चाहिए. प्रत्येक रिंग या रक्षा बाँय रस्सी से बंधा हुआ होना चाहिए जो कम से कम ताल की अधिकतम चौड़ाई से आधी तथा 3 मीटर से अधिक हो.
- (ङ) **प्राथमिक उपचार**—सामूहिक उपयोग के हेतु तरण तालों में ताल उपयोगकर्ताओं के उपचार के लिये समस्त आवश्यक वस्तुओं से युक्त एक प्राथमिक उपचार किट होना चाहिए.

- (च) **अंग रक्षक ( लाईफ गार्ड्स ).**—तैरने की समस्त सुविधाओं में एक विशेषित जीवन रक्षक ( लाइफ गार्ड्स ) होना चाहिए. तैरने के लिये 200 और 500 वर्गमीटर के बीच की तैरने की सुविधाओं के लिये एक अंगरक्षक होगा, 500 और 1000 वर्ग मीटर के बीच का कुल पानी की सतह क्षेत्र वाले ताल हेतु न्यूनतम दो जीवन रक्षक लाईफ गार्ड अथवा प्रति ताल अथवा 500 वर्गमीटर के प्रत्येक खण्ड के लिये एक अतिरिक्त जीवन रक्षक आवश्यक है.
- (छ) **प्रसाधन.**—सामुदायिक ताल सुसंवातित भीतरी परिसर में प्रसाधन तथा कपड़े बदलने के कमरे की सुविधाएं मुहैया कराएंगे. उसमें सतत् जल, टायलेट पेपर, डिस्पोजेबल टावल तथा साबुनदानियां होना चाहिए.
- (ज) **फुहारे ( शावर्स ).**—फुहारे ( शावर्स ) ताल क्षेत्र के पास होना चाहिए. शावर्स की संख्या कम से कम पूल लेडर्स की संख्या के बराबर होना चाहिए. फुहारे का आधार फिसलने रहित जल निकासी योग्य पर्याप्त ढाल वाला होना चाहिए. फुहारे का अग्रभाग स्वच्छता के प्रयोजनों से वार्षिक आधार पर बदला जाना चाहिए.
- (झ) **रजिस्टर एवं नियंत्रण पुस्तिका.**—प्रत्येक ताल के लिये एक रजिस्टर एवं नियंत्रण पुस्तिका रखी जानी चाहिए. यह पुस्तिका, स्वास्थ्य प्राधिकारी तथा ताल सुविधाओं के किसी उपभोक्ताओं दोनों के अनुरोध पर निरीक्षण के लिये उपलब्ध होगी.
- (ञ) **ताल संरक्षण.**—जब ताल का उपयोग नहीं हो रहा हो रात्रि और आफ सीजन में इसे ताला बंद किए जाने योग्य बाड़ द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए. यह बाड़ ऊंचाई में न्यूनतम 1.2 मीटर तथा स्वरोधी दरवाजों (सेल्फ लॉकिंग गेट्स) वाली होनी चाहिए.
- (ट) **संकेत ( चिन्ह ).**—सामूहिक उपयोग के लिये प्रत्येक तरण सुविधा में आंतरिक नियमों का एक संवर्ग प्रदर्शित किया जाना चाहिए, जो कम से कम यह अंतर्विष्ट करे:—
- (एक) स्नान क्षेत्र में सामान्य वस्त्र या जूते पहनकर प्रवेश करने पर प्रतिषेध;
- (दो) यह दर्शित होगा कि ताल में प्रवेश करने से पूर्व स्नान करना अनिवार्य है;
- (तीन) कूड़े-कचरे पर प्रतिषेध एवं कचरा पेटियों का उपयोग दर्शित होगा;
- (चार) भीतरी तरण सुविधाओं में स्नान टोपी (बाथिंग केप) का उपयोग दर्शित होगा;
- (पाँच) तरण सुविधा में पालतू पशुओं के साथ प्रवेश का प्रतिषेध.

अन्य संकेत जो कि प्रमुख स्थानों पर संप्रदर्शित किए जाने चाहिए:—

- (एक) ताल के दोनों किनारों पर एवं ताल की लम्बाई पर निर्भर करते हुए आंतरायिक रूप से पानी की गहराई का संकेत;
- (दो) प्राथमिक उपचार और इसके लिये निदेश;
- (तीन) कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन ( सीपीआर );
- (चार) प्रसाधन तथा उनके निदेश;
- (पांच) आपातकालीन सेवा नम्बर.



**12. अनुपालन प्रक्रिया.**—(1) अधिकारियों का प्राधिकृत किया जाना.—नगर निगम अथवा नगर पालिका परिषद् यथास्थिति, अपने अधिकारी/निरीक्षक को प्राधिकृत कर सकेंगे और इन उपविधियों के अधीन विभिन्न कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेंगे.

(2) प्रक्रियाओं का अनुपालन.—कोई तरण ताल उस समय तक प्रचालित नहीं किया जाएगा जब तक कि स्वास्थ्य प्राधिकारी को समुचित आवेदन प्रस्तुत न कर दिया गया हो तथा स्वास्थ्य प्राधिकारी द्वारा विधिमान्य प्रचालन अनुज्ञापत्र जारी न कर दिया गया हो.

(3) निलंबन या प्रतिसंहरण.—स्वास्थ्य अधिकारी को यह शक्ति तथा प्राधिकार होगा कि इन उपविधियों के उपबंधों के अनुपालन में असफल रहने पर अनुज्ञापत्र निलंबित करे या प्रतिसंहत करे. जब अनुज्ञापत्र के लिये कोई आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है अथवा पूर्व में प्रदत्त अनुज्ञापत्र निलंबित या प्रतिसंहत कर दिया जाता है तो आवेदक या उसके धारक को, सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा. यदि कोई आवेदन अस्वीकार किया जाता है अथवा कोई अनुज्ञापत्र निलंबित या प्रतिसंहत किया जाता है तो आवेदक या अनुज्ञापत्र के धारक को, विनिर्दिष्ट रूप से कोई और समस्त कारणों को कथित करते हुए कि कार्रवाई क्यों की गई थी, यह लिखित में अनिवार्य रूप से अधिसूचित किया जाएगा. इन प्रक्रियाओं का प्रयोजन, जब किसी वर्तमान तरण ताल का निरंतर प्रचालन जनता को कोई सारभूत एवं आसन्न स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संकट पैदा करता है अथवा जब कोई तरण ताल इन उपविधियों का सुस्पष्ट एवं निरंतर उल्लंघन करता है, स्वास्थ्य प्राधिकारी के दायित्वों को पूरा करने के लिये की जाने वाली न्यूनतम कार्रवाई को स्पष्ट करना है. निलंबन, उसकी लिखित सूचना की तामील पर प्रभावी होगा और प्रचालन तुरंत बंद किया जाना होगा. सुनवाईकर्ता अधिकारी निलंबन को तुरंत विखण्डित अथवा परिवर्तित करने अथवा निलंबन को सशर्त अथवा बिना किसी शर्त के जारी रखने हेतु प्राधिकृत होगा. समस्त उल्लंघनों की दुरुस्ती पर स्वामी, अनुज्ञापत्र को पुनर्स्थापित करने के लिये निरीक्षण का निवेदन कर सकेगा. वे मर्दे, जिन्हें कि सारभूत एवं आसन्न स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संकट हेतु जोखिम मानी जाएंगी, निम्नलिखित सम्मिलित है :—

(एक) प्रचालन के दौरान रोगाणुनाशक स्तर न्यूनतम से भी कम है;

(दो) प्रचालन के दौरान पी. एच. न्यूनतम स्तर से कम अथवा अनुज्ञात अधिकतम स्तर से अधिक है.

(तीन) पम्प, स्वचलित रोगाणुनाशक उपस्कर एवं तरण ताल के निरंतर निस्पंदन (फिल्टरेशन) तथा विसंक्रामण के लिये आवश्यक अन्य उपस्कर कार्य नहीं कर रहे हैं.

**13. शास्ति.**—जो कोई इन उपविधियों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह ऐसे जुर्माने से जो 5000 रुपए तक का हो सकेगा और भंग के निरंतर होने की दशा में, ऐसे और जुर्माने से, जो कि उस प्रथम दिन जिसके दौरान भंग साबित हुआ, के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए सौ रुपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा.

**14. अपील.**—यदि आवेदक आयुक्त द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित है तो अपील, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 403 (4) के अनुसार अपीली समिति के समक्ष संस्थित की जाएगी और नगरपालिका परिषद् की दशा में, अपील प्राधिकारी संबंधित संभाग का उप संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास होगा.

**15. निरसन तथा व्यावृत्ति.**—इन उपविधियों के प्रारंभ होने की तारीख से इन नियमों के तत्स्थानी सभी नियम, आदेश या उपविधियां, जो इन उपविधियों के प्रारंभ होने के अव्यवहित पूर्व, नगरपालिकाओं में लागू थीं, निरसित हो जाएंगी:

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों, आदेशों या उपविधियों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, जो इन उपविधियों के उपबंधों से संगत हो, इन उपविधियों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी.

No. 33-S. No. F 1-25-2011-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 432 A read with Section 428 and clause (d) of Section 67 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), and sub-section (1) of Section 359 read with sub-section (5) of Section 357 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government hereby makes the following model byelaws with regard to the regulation of swimming pools, for guidance of Municipal Corporation of Municipalities in the State, namely :—

#### MODEL BYE LAWS

1. **Short title, application and commencement.**—(1) These bye-laws may be called the Madhya Pradesh Municipality Regulation of Swimming Pools Model Byelaws, 2011.

(2) They shall apply to the Municipalities.

(3) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definitions.**—In these byelaws, unless the context otherwise requires,—

- (a) “abrasion hazard” means a sharp or rough surface that would scrape the skin by chance during normal use.
- (b) “Act” means the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) or Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as the case may be;
- (c) “bather” means any person using a swimming pool and adjoining deck area for the purpose of swimming or related activities;
- (d) “bather load” means the number of person in the pool or spa area at any given moment or during any stated period of time;
- (e) “beginners area” means the water areas ranging in depth from 0.6 meter to 0.9 meter;
- (f) “building official” means the building officer of a local Municipal area of government empowered by law to administer and enforce the rules;
- (g) “decks” means those areas immediately adjacent to or attached to a pool or spa that are specifically constructed or installed for use by users for sitting, standing or walking;
- (h) “deep areas” means the portions of a pool having water depths in excess of 1.5 meter;
- (i) “family pool” means a residential swimming pool;
- (j) “filter” means a device that separates solid particles from water by circulating the water through porous substance (a filter medium element);
- (k) “floor” means the interior bottom pool surface and consists of that surface from a horizontal plane upto a maximum of a forty five degree slope.
- (l) “fresh water” means water having a specific conductivity less than a solution containing six thousand parts per million of sodium chloride;
- (m) “health authority” mean the Health officer of the concerned Municipality whoever has immediate jurisdiction.
- (n) “Municipality” means Municipal Corporation, Municipal Council or Nagar Panchayat, as the case may be;

- (o) "organic" matter means perspiration, urine, saliva, suntan oil, cosmetics, lotions, dead skin and similar debris introduced to water by users and the environment;
- (p) "premises" means any land, building or structure;
- (q) "pool" means any artificial water holding structure with a closed-loop circulation of water through a water treatment system with a return to the structure;
- (r) "private pool" means any constructed pool, permanent or non-portable, that is intended for noncommercial use as a swimming pool by not more than one owner family and their guests.
- (s) "public swimming pool" means any structure, chamber or tank containing an artificial body of water used by the public for swimming, diving, wading or recreation together with buildings, appurtenances and equipment used in connection with the body of water, regardless of whether a fee is charged for its use. The term includes Municipal, School, Hotel or club pools and any pool to which access is granted in exchange for payment of a daily fee. The term shall also include pools operated by institution, state agencies, condominiums, associations, health clubs etc.
- (t) "shallow areas" means those portions of a pool ranging in water depth from 0.9 metre to 1.5 meter.
- (u) "test kit" means a device used to monitor specific chemical or agent residual or demands in pool.

**3. Operation and Management of Swimming Pool.**—All swimming pools covered by these byelaws shall be maintained under the supervision and directions of a properly trained-operator who shall be responsible for the sanitation, safety and proper maintenance of the pool and all physical and mechanical equipments and records.

**4. Content of plans for swimming Pool.**—(1) Plans and specifications of all public swimming pools shall be submitted for design approval prior to the construction or alteration.

(2) Such plans and specifications shall contain sufficient information to show that the pool, pool systems, bathhouse, equipment or improvements thereto and shall indicate the following:—

- (a) Physical description of the pool including pool perimeter, area, depths, location of inlets and outlets, waterline, stairs, ladders, diving equipment and materials of construction.
- (b) Pool volume, turnover, rate of filtration, flow rates and total dynamic head;
- (c) Source quality and characteristics of the make-up water supply;
- (d) Detailed description of filtration, circulation and chemical feeder equipment;
- (e) Scale, north point and direction of prevailing wind;
- (f) Occupant load.

**5. Application for initial operating permit.**—(1) The management of a public swimming pool shall submit to the concerned Commissioner, Municipal Corporation or Chief Municipal Officer, Municipal Council an application to operate a swimming pool prior to the start of construction.

(2) The application shall be prepared in duplicate on prescribed forms provided by the Department the original shall be forwarded to the concerned authority and a copy retained by the management.

(3) A minimum of five sets of drawings of the construction project shall be submitted- containing complete details so as to clearly indicate to the authority the work to be undertaken, Additional, sets of drawings may be required. Drawings shall be complete and shall comply with standard of architectural /engineering practice. The maximum bathing load shall be stated on the plans.

(4) One signed and approved set of the construction plans shall remain at the construction site at all times during construction.

(5) A construction permit shall be valid for twelve months from the date of issue. After this time the municipality may require resubmission of plans and specifications and issuance of a new construction permit if the project has not begun or has not been completed.

6. **Structural Design.**—(1) The structural design and materials used shall be in accordance with generally accepted good structural engineering practices.

(2) The colours, patterns or finishes of the pool interior shall not obscure the existence or presence of objects or surfaces within the pool.

(3) Swimming pools as well as all appurtenances shall be constructed of materials which are nontoxic to man and the environment, impervious and enduring, withstanding of design stresses and will provide a watertight structure with a smooth and easily cleaned surface without cracks or joints, excluding structural joint, or to which a smooth, easily cleaned surface finish is applied or attached.

(4) **Plumbing.**—All plumbing shall be sized, installed and maintained according to applicable Regulations and / or CPHEEO Norms, Written evidence shall be provided from a licensed plumbing contractor- or the plumbing inspector as required by the local health authority of compliance with the plumbing code.

(5) **Electrical Systems.**—All electrical wiring, equipment, and installation, including the grounding of pool components, shall conform with Indian Electricity rules. Written evidence shall be provided from a licensed electrical contractor or electrical inspector, as required by the local health authority, of compliance with all electrical codes.

(6) **Recirculation and Treatment Systems and other Components.**—Written evidence shall be provided from the designing engineer that all recirculation and treatment systems and all components used in the installation meet the standards.

(7) **Material Surfaces.**—All material surfaces that come in contact with the user shall be finished so that they do not constitute a cutting, pinching, puncturing or abrasion hazard under casual contact and use.

7. **Permit.**—(1) It shall be unlawful for any person to operate a public swimming pool without having first obtained a valid operating permit from such Municipal Corporation or Municipal council, as the case may be, or officer authorized by or under the relevant Municipal law to grant such permission.

(2) Permits are invalidated by change of ownership.

(3) Each individually treated pool will operate under a separate permit.

(4) Prior to the issuance of a permit to new or existing public pools, the applicant shall provide evidence of satisfactory compliance with the provisions of these rules and all other provisions of laws which apply to the location, construction and maintenance of the pool and the safety of person therein.

(5) The permit shall be prominently displayed at all times, as close to the main entrance as practicable, as determined by the relevant Municipal Law.

(6) The permit shall be the property of the health authority and shall be returned within seven days to the local health authority when the pool, ceases to operate, has a change of ownership or where the permit is revoked.

(7) An operating permit shall not be valid for more than twelve months.

8. **Requirement for premises.**—(1) Separate change-rooms, shower and toilet facilities must be provided for each sex with easy access of the swimming pool.

(2) The surface of the floor area surrounding the swimming pool must be of an impervious and non-slip material.

(3) A suitable chemical gasmask must be provided at the chlorinator installation, and if required by the Health officer, an oxygen or air breathing apparatus must be provided.

(4) An adequate number of refuse receptacles must be provided on the premises.

(5) Maximum capacity of pool must be stated and adhered to.

(6) Deeper ends must have proper ladder access.

(7) A swimming pool must be surrounded by an approved wall or fence.

(8) The swimming pool fencing / wall should.—

(a) Be at least 1.2 m. high;

(b) Not have gaps in the fence or below the fence wider than 100 metres;

(c) Not have foot holds, hand holds or other means for a young child to be able to climb;

(9) No item shall be located within 1.2 meter of the pool gate such as .outdoor furniture, Bikes, pot plants, gym equipment, ladder's, trees and shrubs with low branches, garden trellis or other items.

(10) Artificial lighting shall be provided in all indoor and outdoor pool. Lighting shall be adequate to illuminate the entire swimming pool without glare. Lighting in dressing rooms, sanitary facilities and equipment rooms shall comply with Madhya Pradesh State Electricity Board requirement.

**9. Duties of the Swimming Pool attendant.**—(1) The premises must be kept in a safe, clean and sanitary condition and in good repair at all times.

(2) An approved, fully equipped first-aid box, clearly designated, properly maintained and kept in a prominent, easily accessible and protected position must be provided.

(3) The swimming pool keeper must ensure that the water is purified, treated and maintained to an acceptable quality at all time when the swimming pool is in use.

(4) Shallow end must be clearly marked “No Diving” or “Jumping”

(5) The swimming pool keeper must be qualified and proficient in life saving, rendering first aid, use of the resuscitation appliance, the operation of the swimming pool and testing and maintain the safety of the water.

(6) The swimming pool keeper must provide and maintain in proper working order equipment for testing the quality of the swimming pool water for pollution and disinfections.

(7) The swimming pool keeper must be fully conversant with all routine tests to be carried out and the interpretation of the results thereof.

(8) A daily operating record of the water quality must be maintained.

**10. Health Safety.**—(1) **Water supply.**— No water from a source other than water from the Municipality's supply must be used to clean, fill or maintain the level in a swimming pool or unless the health officer has issued a certificate to the swimming-pool keeper, stating that such water is suitable for such use. The health officer must take samples of the swimming-pool water at intervals as he deems fit for the purpose of a chemical analysis of bacteriological examination by an authorized analyst.

(2) **Safety of water.**—Every swimming-pool keeper must ensure that the water in the swimming pool complies with the following when it is in use:—

- (a) The water must be free from floating, suspended or settled debris or swimming organisms and the wall, floor access ladders or steps and gutters must be free from slime and algae;
- (b) The pH value of the water must be not less 7 and not more than 8;
- (c) Where chlorine based disinfectants are used, minimum free available chlorine residual of 0.5 mg/1 with a maximum free available chlorine residual of 3 mg/1 must be maintained.
- (d) Where a disinfectant other than chlorine is used the residual level must be equivalent in effect to the requirements of clause (c).
- (e) The total viable bacteriological count of any sample submitted for analysis in accordance with the acceptable methods must not exceed 100 organisms per ml. of water:
- (f) Escherichia coli type 1 bacteria must not be present in any 100 ml of water; and
- (g) Appropriate water quality testing equipment must be available and maintained.

(3) **Prohibition on the use of a swimming pool.**—(a) If the water in the swimming-pool when available for use does not comply with the provisions of sub-section (2)(e) and if, in the opinion of the health officer; the use of such swimming-pool is not in the interest of public health, he or she may forthwith prohibit the use of such swimming-pool.

(b) A prohibition in terms of use of swimming pool must remain in force until written revocation thereof by the health officer has been served upon the swimming-pool keeper.

(4) **Right of Entry.**—The health officer may at all reasonable times, when the swimming-pool is available for use, enter any premises for the purpose of inspection and take samples of water as he may deem necessary for chemical or bacteriological examination or analysis.

(5) **Use of pool.**—No person must—

- (a) Interfere with the swimming pool keeper or any official of Municipality in the execution of their duties;
- (b) use any premises whilst knowingly or suspecting of suffering from any communicable or contagious disease;
- (c) urinate defecate, spit or blow his nose in the swimming-pool;
- (d) be allowed drinking or eating near pool.
- (e) use glasses cups, bottles or glass containers;
- (f) be allowed running or jumping;
- (g) use plastic bags to be kept near pool;
- (h) be allowed under influence of alcohol;
- (i) be allowed to enter without proper swim wear particularly wearing underwear.

11. **Safety in Swimming Pool.**—Swimming Pool Regulations shall be as follows:—

- (a) **Children's Pools.**—Children's pools are those intended for use of children under six years of age. These pools should be no deeper than 40cm nor have slants or slopes of over 10 percent. Children's pools should be totally independent so not to allow children to gain access to other pool areas accidentally.
- (b) **Pool Ladders.**—Ladders should be installed at least every 25 meter or fraction of the perimeter. They should be constructed of stainless steel for ease of cleaning and should be deep enough to allow for comfortable climbing, but must not reach the bottom of the pool.
- (c) **Deck Characteristics.**—The deck is considered the area immediately around the pool. The deck should have a minimum width one meter and should be of a material that prevents slipping. Its design should prevent the formation of puddles and the flow of water back into the pool.
- (d) **Life Safety buoys.**—Community pools should have as many life buoys as there are pool ladders they should be installed in visible places and be accessible by swimmers. Each ring or life buoy must have a rope tied to it which is at least half the maximum width of the pool plus 3 meters.
- (e) **First Aid.**—Swimming pools for collective use should have a First Aid kit with all necessary materials for treatment of pool users.
- (f) **Lifeguards.**—All swimming facilities should have a qualified lifeguard. For swimming facilities of between 200 and 500 square meters there should be one lifeguard. A minimum of two lifeguards are required for pool with a total water surface area of between 500 and 1000 square meters, or one additional life guard per pool or per fraction of 500.square meters.
- (g) **Toilets.**—Community pools should provide toilets and dressing room facilities in well ventilated indoor premises; They should have running Water, toilet paper, disposable towels and soap dispensers;
- (h) **Showers.**—Showers should be placed in the vicinity of the pool area. Numbers of showers should be at least equal to the number of pool ladders. The shower base must be non-slip with a sufficient slope to allow for drainage. Shower heads should be either replaced on a yearly basis for the purposes of hygiene.
- (i) **Register and Control Book.**—A Register an Control Book should be kept for each pool. This book should be available for inspection at the request of both the health authority and any users of the pool facilities.
- (J) **Pool Protection.**—When the pool is not in use, at night and in the off season, it should be protected by a lockable .fence. The fence should be a minimum of 1.2 meter in height and have self-locking gates,
- (k) **Signs.**—Every 'swimming facility for collective use should have displayed a set of internal rule which shall contain at least:
  - (i) A prohibition to enter the bathing area wearing "street" clothes or shoes;
  - (ii) An indication that it is compulsory to shower prior to-entering the pool;
  - (iii) A prohibition to litter and an indication to use waste paper bins;
  - (iv) In indoor swimming facilities, an indication to use bathing caps;
  - (v) A prohibition to enter the swimming facility with pets.

Other signs that should be displayed in prominent positions are:

- (i) Water depth signs both at both ends of the pool and intermittently depending on the length of the pool;
- (ii) First aid and directions to it;

- (iii) Cardiopulmonary Resuscitation (CPR);
- (iv) Toilet and directions to them
- (v) The Emergency Services Number.

12. **Compliance procedures.**—(1) **Authorization of officers.**—The Municipal Corporation or Municipal Council, as the case may be, shall authorize its officer/ inspector and shall delegate the necessary power for carrying various duties under these byelaws.

(2) **Compliance Procedures.**—A swimming pool shall not operate until such time as the appropriate application has been submitted to the health authority and a valid operating permit has been issued by the health authority.

(3) **Suspension or Revocation.**—The health officer shall have the power and authority to suspend or revoke permits for failure to comply with the provisions of these byelaws. When an application for a permit is denied or the permit previously granted is to be suspended or revoked, the applicant or holder thereof shall be afforded notice and hearing. If an application is denied or a permit is suspended or revoked, the applicant or holder of the permit must be notified in writing, specifically stating any and all reasons why the action was taken. The purpose of these procedure is to state the minimum actions to be taken to fulfill the obligation of the health authority in assuring compliance with the regulations when the continued operation of a swimming pool presents a substantial and imminent health and safety hazard to the public or when a swimming pool is in flagrant or continuing violation of these byelaws. Suspension is effective upon service of a written notice thereof, and operation must cease immediately. The hearing official will be authorized to immediately rescind or modify the suspension with or without conditions. Upon correction of all violations, the owner may request an inspection to reinstate the permit. Items that are considered substantial and imminent health and safety hazards include the following:—

- (i) During operation, disinfectant levels are less than the minimum;
- (ii) During operation, the pH is less than the minimum or more than the maximum levels allowed;
- (iii) The pump automatic disinfectant equipment or other equipment necessary for continuous filtration and disinfection of the swimming pool is not working.

13. **Penalty.**—Whosoever contravenes any provisions of these byelaw shall be punishable with fine which may extend to Rs. 5000 and where the breach is continuing breach, with a further fine which shall extend to one hundred rupees for every day after the first day during which the breach is proved.

14. **Appeal.**—Appeal shall lie before appellate committee as per section 403 (4) of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act 1956, if applicant is aggrieved by any order passed by the Commissioner and in case of Municipal Council Appellate authority is Deputy Director, Urban Administration and Development of the concerned division.

15. **Repeal and Saving.**—As from the date of commencement of these byelaws all rules, orders or byelaws corresponding to these byelaws in force immediately before the commencement these byelaws in the Municipalities shall stand repealed:

Provided that anything done or any action taken under any of these rules, orders or byelaws so repealed shall unless such thing or action is inconsistent with the provision of these byelaws be deemed to have done or taken under the corresponding provisions of these byelaws.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. पी. एस. परिहार, प्रमुख सचिव.